न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 19/2022

बउनवान

मदन किशोर आयु 53 वर्ष पुत्र धूलीलाल जाति ब्राह्मण निवासी पशु चिकित्सालय के पास मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां राज0 (अपीलांट)

बनाम

1. मोतीलाल आयु 70 वर्ष पुत्र पीरूलाल जाति माली निवासी सहरिया बस्ती के पास बम्बोरी रोड़ तहसील मांगरोल जिला बारां राज0 (रेंस्पोडेंट)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां राज0

अपील इन्तकाल नंबर 462 ग्राम मांगरोल तहसील मांगरोल आदेश दिनांक 08.06.2000 अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी एडवोकेट (अपीलांट)
2. श्री मदनलाल गालव एडवोकेट (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 08.07.2024

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय श्रीमान् के यहां से प्रकरण संख्या 45/2000 बउनवान मुकदमा मोतीलाल बनाम रतनलाल वगैरह के नाम से प्रकरण का फैसला दिनांक 22.03.2000 को हुआ था कि ''खसरा नंबर 3382 रकबा 3.55 है. में से 1.69 है. भूमि कम करके रकबा 1.94 है. रतनलाल के तथा 1.61 है. भूमि मोतीलाल के खाते दर्ज की जावे। इसी प्रकार लक्ष्मण के खाते में खसरा नंबर 2623 रकबा 0.38 है. कम करके मोतीलाल के खाते में कुल खसरा नंबर 3582 रकबा 1.61 है. व 2623 रकबा 0.38 है. कुल 1.99 है. भूमि खाते दर्ज की जावे।'' उक्त आदेश के पश्चात जो नामान्तकरण खोला गया है उसमें अपीलांट के खाते की आराजी खसरा नंबर 3580 रकबा 3.15 है. में से 0.38 है. कम कर रेस्पो0 के खाते में खसरा नंबर 3580/5021 के रूप में जोड़ा गया है। उक्त नामान्तकरण के कॉलम नंबर 16 में रतनलाल पुत्र पीरू के खसरा नंबर 3582 रकबा 3.55 है. में से 1.61 है. रकबा व लक्ष्मण पुत्र पीरू के खाते से खसरा नंबर 2326 रकबा 0.09 है. के स्थान पर रामावतार, श्यामकिशोर के खाते में से खसरा नंबर 3580 रकबा 3.15 है. में से 0.38 है. कम करके 2.77 है. दर्ज करने का नोट अंकित करते हुए पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर आई.एल.आर. मांगरोल द्वारा बिना जांच किये तथा बिना फैसले को पढे रिपोर्ट कर दी । उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार मांगरोल द्वारा उक्त नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया जो वैधानिक प्रावधानों के विपरीत तथा न्यायालय श्रीमान द्वारा प्रकरण संख्या 45/2000 में दिये गये फैसले के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। न्यायालय श्रीमान् द्वारा अपीलांट की भूमि को कम करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया परन्तु तहसीलदार मांगरोल ने उक्त नामान्तकरण के माध्यम से अपीलांट की 0.38 है. भूमि बिना किसी वैधानिक अधिकार के अपीलांट के खाते से कम करके रेस्पो0 के कम 1 के खाते दर्ज कर दी गई। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा नक्शे में तरमीम वर्ष 2021 में की गई है, उक्त नक्शे में खसरा नंबर 3580 रकबा 3.15 है. में से 0.38 है. पृथक से नक्शे मे खसरा नंबर 3580/5021 रकबा 0.38 है. के रूप में दर्शाया गया है जिसकी जानकारी अपीलांट को अभी नक्शा देखने से प्राप्त हुई है। जबकि इससे पूर्व खसरा नंबर 3580 का नक्शा एक ही था, इस कारण अपीलांट को रकबा कम करने की जानकारी हुई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 462 पर तहसीलदार [illegible] द्वारा दिया गया आदेश निरस्त किया जाकर न्यायालय श्रीमान् द्वारा दिये गये आदेश दि[illegible] 22.03.2000 की पालना के अनुसार तस्दीक करने हेतु पुनः तहसीलदार मांगरोल को रिमाण्ड किया जावे [illegible] कृपा करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये समन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोंडेंट जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.08.01 13:40:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

रेस्पो0 की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब अपील एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम मांगरोल की संयुक्त खातेदारी की भूमि में से खसरा नंबर 1411 रकबा [illegible] बीघा भूमि प्रार्थी के खाते दर्ज हुई थी परन्तु सेटलमेन्ट विभाग द्वारा त्रुटि करके उक्त आराजी को प्रार्थी के खाते दर्ज नही किया एवं अन्य की खातेदारी में दर्ज कर दिया था। इस कारण प्रार्थी की ओर से उक्त अप्रार्थी कम 1 ता 5 के विरूद्ध माननीय न्यायालय में धारा 136 एल.आर.ए. के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसका निर्णय दिनांक 22.03.2000 को किया गया। उक्त निर्णय की पालना में इन्तकाल नंबर 462 तहसील मांगरोल खोला जाकर प्रार्थी के खाते 2.08 है. भूमि दर्ज करने के आदेश दिये गये। निर्णय पारित करते समय यह तथ्य प्रकट हुआ था कि खातेदार रामावतार रामकिशन पिसरान धूलीलाल के खसरा नंबर 3580 रकबा 3.15 है. दर्ज हुआ जो 0.38 है. से अधिक है। प्रार्थी के खाते में खसरा नंबर 3582/3.55 है. में से 1.69 है. कम करके उसमे से 1.61 है. एवं खसरा नंबर 2623 की 0.38 है. कुल 1.99 है. प्रार्थी मोतीलाल के खातेदारी में दर्ज करने के आदेश हुए थे जो सहवन से या टंकण की त्रुटि से गलत दर्ज हो गये थे। खसरा नंबर 2623 के बजाय खसरा नंबर 3580 में 0.38 है. अधिक दर्ज हुआ है। उसमे से प्रार्थी के खाते में यह रकबा दिया जाना था जो निर्णय में दिये गये विवरण से प्रमाणित है। खसरा नंबर 2623 का कुल रकबा 0.09 है. है इसलिये उसमे से 0.38 है. आराजी दिया जाना संभव नहीं है। उक्त विवरण के अनुसरण में पूर्ण जांच कर तहसीलदार मांगरोल द्वारा प्रार्थी के खातेदारी खसरा नंबर 3582 मिन की रकबा 1.61 है. एवं खसरा नंबर 3580 में से रकबा 0.38 है. प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज की है, जो सही है एवं निरन्तर चली आ रही है। अतः जवाब अपील एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलान्ट निरस्त फरमायी जावे एवं प्रार्थी रेस्पो0 की प्रार्थना बाबत संशोधन स्वीकार कर खसरा नंबर 2623 रकबा 0.38 है. के स्थान पर निर्णय में खसरा नंबर 3580 की रकबा 0.38 है. प्रार्थी/रेस्पो0 के खाते में होने बाबत संशोधन करने की कृपा करें।

अपीलांट की ओर से रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत जवाब अपील एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र का जवाब जर्ये अभिभाषक इस आशय का पेश हुआ कि अपीलांट व रेस्पो0 मोतीलाल के खेत के मध्य उत्तर से दक्षिण सन् 1961 से नहरी धोरा हैव पश्चिम दिशा में रेस्पो0 मोतीलाल व पूर्व में अपीलांट का खेत है इसी धोरे से अपीलांट व रेस्पो0 के खाते की आराजी की हदबन्दी है तथा यह धोरा 2 मीटर चौड़ा व 280 मीटर लम्बा है जो करीब 0.16 है. भूमि में बना हुआ है उक्त धोरे का उपयोग रेस्पो0 ही करता है तथा यह धोरा रेस्पो0 की आराजी में ही बना हुआ है तथा रेस्पो0 की सिंचाई में ही काम आता है। उक्त धोरे के रकबे को रेस्पो0 के खाते से कम नहीं किया गया है। उक्त धोरे का हवाला तहसीलदार मांगरोल से मंगवायी गयी तथ्यात्मक रिपोर्ट में भी अंकित है अपीलांट के पास साबिक खाता 17 बीघा 4 बिस्वा की तुलना में 2.80 है. जमीन है। रिपोर्ट तहसीलदार मांगरोल से स्पष्ट है कि विवादित तरमीम नक्शा खसरा नंबर 3580/5021 का नक्शा अपीलांट श्यामकिशोर के रकबे 2.80 है. के भीतर ही काट दिया है तथा मोतीलाल के पिता पीरिया की साबिक खसरा नंबर 1411 मे से 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि दक्षिणी भाग मे से नहर में अधिग्रहित की गई जिसका मुआवजा रेस्पो0 द्वारा प्राप्त कर लिया गया है परन्तु रकबे को खाते से कम नहीं किया गया। नामान्तकरण संख्या 462 ग्राम मांगरोल निरस्त किया जाकर पुनः आदेश की पालना में नामान्तकरण खोला जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र रेस्पो0 सव्यय खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण हेतु प्रकरण नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पो. ने लिखित बहस इस आशय की पेश की कि प्रस्तुत अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 45/2000 में पारित निर्णय दिनांक 22.03.2000 बउनवान मोतीलाल बनाम रतनलाल वगैरह के अनुसरण में तहसीलदार मांगरोल द्वारा खोले गये इन्तकाल नंबर 462 दिनांक 08.06.2000 के विरूद्ध 22 वर्ष पश्चात पेश की गई है जो मियाद बाहर होने से चलने योग्य नही है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के पैरा संख्या 2 में अंकित है कि खसरा नंबर 1408 क[illegible] 4 बिस्वा भूमि जिसके हाल खसरा नंबर 3580 रकबा 3.15 है. दर्ज हुआ है जो 0.38 है. [illegible] तथा रतनलाल के खाते भूमि खसरा नंबर 3582 रकबा 3.55 है. मे से 1.60 है. [illegible] नंबर 3623 रकबा 0.09 है. भूमि लक्ष्मण के खाते से कम की जाकर मो[illegible] को दिये जाने की अभिशंषा की है। इस प्रकार प्रकरण में मोतीलाल के खाते में दर्ज करने हेतु खसरा नंबर 3582 में से 1.61 है. खसरा नंबर 2603

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.08.01 13:40:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

रकबा 1.09 है. एवं खसरा नंबर 3580 में से बढे हुए रकबे को कम करने पर 0.38 है. भूमि को मोतीलाल की खातेदारी में दर्ज किया जाकर उसकी पूर्ति किये जाने का कथन है परन्तु कियात्मक आदेश में भूलवश खसरा नंबर 3580 रकबा 0.38 है. की जगह खसरा नंबर 2623 रकबा 0.38 है. दर्ज हो गया है जो सहवन से हुआ है खसरा नंबर 2623 रकबा 0.38 है. का कुल रकबा 0.38 है. नहीं है इसलिये उसमे से 0.38 है. दिया जाना संभव नही है। पटवारी हल्का एवं तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट में भी खसरा नंबर 3580 मे से बढ़ा हुआ रकबा 0.38 है. कम किया जाकर अन्य नम्बरान के साथ इस रकबे को मोतीलाल के खाते में दर्ज कर पूर्ति किये जाने की अनुशंषा की है। इस तरह तहसीलदार मांगरोल द्वारा खोले गये इंतकाल में कोई दुर्भावना व त्रुटि नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोले गये इंतकाल से अपीलांट को कोई क्षति नहीं हुई है अपीलांट का जितना रकबा होना चाहिये था उतना रकबा आज भी उसके खाते में है। भूलवश दर्ज खसरा नंबर की त्रुटियों को सुधारने हेतु एवं खसरा नंबर 2623 रकबा 0.38 है. की जगह संशोधन कर खसरा नंबर 3580 की 0.38 है. संशोधित करने की प्रार्थना रेस्पो. द्वारा की गई है। तथा इस त्रुटि को संशोधित करने हेतु रिव्यू प्रार्थना पत्र भी प्रार्थी/रेस्पो. द्वारा पेश किया था जिसे मियाद बाहर मानकर माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया इसी प्रकार प्रस्तुत अपील भी 22 वर्ष पश्चात पेश होने से उसी मापदण्ड के अनुसरण में निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट, सारहीन, भारहीन व मियाद बाहर होने तथा अपीलांट को उक्त इंतकाल से कोई क्षति नही होने के कारण निरस्त फरमाई जावे।

अभिभाषक रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का जवाब अभिभाषक अपीलांट द्वारा इस आशय को पेश किया कि नामां. नंबर 462 में अपीलांट के वेल्यूवल व महत्वपूर्ण कानूनी अधिकारों का हनन हुआ है इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नजीर जसवन्तराय, भास्करराय, देशमुखी बनाम रघुनाथ किशन डीएनजे 2021 (4) 1167 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि जहां व्यक्ति के विधिक एवं वेल्यूवल अधिकारों का हनन होता है वहां मियाद का प्रश्न जानकारी आने के पश्चात अवधि को कंडोन किया जाना आवश्यक है। इन्तकाल नंबर 462 निर्णय/आदेश न्यायालय श्रीमान की मंशा के विपरीत खोला गया है, निर्णय आदेश में अपीलांट के खाते से भूमि रेस्पोडेन्ट को दिये जाने का कोई कथन नहीं था और तहसीलदार मांगरोल ने बिना मौके की सत्यता को देखे कि मौके पर अपीलांट के पास कितनी भूमि है जबरन अपीलांट के खाते से भूमि रेस्पो. को प्रदान कर दी जबकि मौके पर इतनी भूमि ही नही है कि अपीलांट को उसके दादा, पिता से प्राप्त भूमि 17 बीघा 4 बिस्वा है। इस संबंध में न्यायालय श्रीमान् द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 11.01.2022 को मंगवाई गई है जिससे स्पष्ट है कि मौके पर अपीलांट के खाते में उतनी ही जमीन है। रेस्पो. द्वारा रिपोर्ट दिनांक 30.08.1999, 06.09.1999 एवं 13.03.2000 की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है उक्त रिपोर्ट की पुश्त पर यह अंकित किया गया है कि रिपोर्ट सही नही है तथा आदेश में भी यह लिखा गया है कि मौजा नक्शे में कोई परिवर्तन नहीं होगा जबकि सेगरिगेशन के पश्चात जो नक्शा काटा गया है उसमें परिवर्तन कर अपीलांट के खाते की आराजी को रेस्पो. के नाम दर्शाया गया है तथा उक्त नक्शा अपने आप में त्रुटिपूर्ण है। इसी आधार पर अपीलांट द्वारा नामां. नंबर 462 के विरूद्ध अपील पेश की गई है। हाल रिपोर्ट दिनांक 11.01.2022 में तहसीलदार स्वंय ने माना है कि पूर्व निर्णय में अपीलांट की भूमि में से कोई भूमि देने का उल्लेख नहीं है एवं मौके पर सार्वजनिक धोरे के उपरांत 2.80 है. पर ही काबिज है। इस प्रकार न पहले कभी मौके पर इतनी भूमि थी न आज मौजूद है। रेस्पो. द्वारा न्यायालय श्रीमान् से प्रकरण संख्या 45/2000 में जो आदेश प्राप्त किया गया है वह तथ्यों को छुपाकर प्राप्त किया गया है क्योंकि उक्त भूमि का मूल खातेदार रेस्पो. के पिता पीरिया उर्फ पीरूलाल है जिनके नाम उक्त खसरा नंबर के साबिक खसरा नंबर 1411 थे उक्त खसरा नंबर में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि सूतलिया के लिये भूमि अवाप्ति अधिकारी कोटा खण्ड कोटा द्वारा नहर के सूतलिया के लिये अधिग्रहण कर मुआवजा दिया गया था जिसका नामां. नंबर 97 दर्ज किया गया था उक्त अधिग्रहित आराजी 1 बीघा 10 बिस्वा [illegible] 0.24 है. [illegible] में जो आदेश प्राप्त किया गया उसमें नहीं किया तथा उक्त तथ्य को छुपाकर रेस्पो[illegible] न्याय[illegible]य से आदेश प्राप्त किया इसलिये उसको किसी प्रकार की रिलीफ उक्त [illegible] 462 [illegible] अधिकार नही है। अपीलांट व रेस्पो. के खेत के मध्य उत्तर से दक्षिण सन [illegible] से नहरी धोरा है व पश्चिम दिशा में रेस्पो. व पूर्व में अपीलांट का खेत है इसी धोरे से [illegible] है यह धोरा 2 मीटर चौड़ा व 280 मीटर लम्बा है करीब 0.16 है. भूमि में बना है जो मात्र रेस्पो. की [illegible]न में ही सिंचाई करता है व रेस्पो. की जमीन में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.08.01 13:40:04 IST
Reason: SelfAttested

ही बनाया गया है अपीलांट का इससे कोई वास्ता नहीं है अपीलांट की सिंचाई इस धोरे से नहीं होती है। इस धोरे के बाद अपीलांट के पास मात्र 2.80 है. जमीन है जो उसके परिवार के साबिक रकबे 17 बीघा 4 बिस्वा की तुलना में समान है जिसका हवाला तहसीलदार मांगरोल द्वारा प्रेषित [illegible] रिपोर्ट में भी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामां. सं. 462 निरस्त फरमाया जावे तथा न्यायालय श्रीमान् के आदेश दिनांक 22.03.2000 की पालना निर्णय अनुसार करने हेतु पुनः तहसीलदार मांगरोल को रिमाण्ड करने की कृपा करें।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील तथा जवाब लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 45/2000 बउनवान मोतीलाल बनाम रतनलाल वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 22.03.2000 अनुसार खसरा नंबर 3382 रकबा 3.55 है. में से 1.69 है. भूमि कम करके रकबा 1.94 है. रतनलाल के तथा 1.61 है. भूमि मोतीलाल के खाते दर्ज की जावे। इसी प्रकार लक्ष्मण के खाते में खसरा नंबर 2623 रकबा 0.38 है. कम करके मोतीलाल के खाते में कुल खसरा नंबर 3582 रकबा 1.61 है. व 2623 रकबा 0.38 है. कुल 1.99 है. भूमि खाते दर्ज की जानी चाहिये थी परन्तु उक्त आदेश के पश्चात जो नामान्तकरण खोला गया है उसमें अपीलांट के खाते की आराजी खसरा नंबर 3580 रकबा 3.15 है. में से 0.38 है. कम कर रेस्पो0 के खाते में खसरा नंबर 3580/5021 के रूप में जोड़ा गया है। उक्त नामान्तकरण के कॉलम नंबर 16 में रतनलाल पुत्र पीरू के खसरा नंबर 3582 रकबा 3.55 है. में से 1.61 है. रकबा व लक्ष्मण पुत्र पीरू के खाते से खसरा नंबर 2326 रकबा 0.09 है. के स्थान पर रामावतार, श्यामकिशोर के खाते में से खसरा नंबर 3580 रकबा 3.15 है. में से 0.38 है. कम करके 2.77 है. दर्ज करने का नोट अंकित करते हुए पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर आई.एल.आर. मांगरोल द्वारा बिना जांच किये तथा बिना फैसले को पढे रिपोर्ट कर दी । उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार मांगरोल द्वारा उक्त नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया जो वैधानिक प्रावधानों के विपरीत तथा निरस्तनीय है क्योंकि माननीय न्यायालय के आदेश में कहीं भी अपीलांट की भूमि कम करने का उल्लेख नहीं है। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक अपीलांट ने आर. आर. डी. 14.12.2008 पृष्ठ संख्या 804 बउनवान राज. औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम जोधपुर व अन्य बनाम शिवाराम व अन्य, आर. एल. ड्ब्ल्यू. 2009 (1) आरजे पृष्ठ संख्या 151 बउनवान भंवरलाल व अन्य बनाम मोतीलाल व अन्य, 2021 (4) डी.एन.जे. (एस.सी.) 1167 बउनवान यशवतंराव भास्करराव देशमुख बनाम रघुनाथ किशन की छायाप्रतियां पेश की। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामां. सं. 462 निरस्त फरमाया जावे तथा न्यायालय श्रीमान् के आदेश दिनांक 22.03.2000 की पालना निर्णय अनुसार करने हेतु पुनः तहसीलदार मांगरोल को रिमाण्ड करने की कृपा करें।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पो. ने जवाब अपील एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र तथा लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की ओर से उक्त अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 के विरूद्ध माननीय न्यायालय में धारा 136 एल.आर.ए. के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसका निर्णय दिनांक 22.03.2000 को किया गया। उक्त निर्णय की पालना में इन्तकाल नंबर 462 तहसील मांगरोल खोला जाकर प्रार्थी के खाते 2.08 है. भूमि दर्ज करने के आदेश दिये गये। निर्णय पारित करते समय यह तथ्य प्रकट हुआ था कि खातेदार रामावतार रामकिशन पिसरान धूलीलाल के खसरा नंबर 3580 रकबा 3.15 है. दर्ज हुआ जो 0.38 है. से अधिक है। प्रार्थी के खाते में खसरा नंबर 3582/3.55 है. में से 1.69 है. कम करके उसमे से 1.61 है. एवं खसरा नंबर 2623 की 0.38 है. कुल 1.99 है. प्रार्थी मोतीलाल के खातेदारी में दर्ज करने के आदेश हुए थे जो सहवन से या टंकण की त्रुटि से गलत दर्ज हो गये थे। खसरा नंबर 2623 के बजाय खसरा नंबर 3580 में 0.38 है. अधिक दर्ज हुआ है। उसमे से प्रार्थी के खाते में यह रकबा दिया जाना था जो निर्णय में दिये गये विवरण से प्रमाणित है। खसरा नंबर 2623 का कुल रकबा 0.09 है. है इसलिये उसमे से 0.38 है. आराजी दिया जाना संभव नहीं है। उक्त विवरण के अनुसरण में पूर्ण जांच कर तहसीलदार मांगरोल द्वारा प्रार्थी के खातेदारी खसरा नंबर 3582 [illegible] 1.61 है. एवं खसरा नंबर 3580 में से रकबा 0.38 है. प्रार्थी के खाते[illegible] में दर्ज की [illegible] है एवं निरन्तर चली आ रही है। अतः काउन्टर [illegible] प्रार्थी रेस्पो0 की प्रार्थना बाबत अपील स्वीकार कर अपील अपीलान्ट निरस्त [illegible] जावे एवं प्रार्थी रेस्पो0 की प्रार्थना बाबत संशोधन स्वीकार कर [illegible] 0.38 है. के स्थान पर निर्णय में खसरा नंबर 3580 की रकबा 0.38 है. प्रार्थी [illegible] बाबत संशोधन करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.08.01 13:40:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया अपील अपीलांट के कथन कि न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 45/2000 में पारित आदेश दिनांक 22.03.2000 में कहीं भी अपीलांट के खाते से भूमि कम करने का अंकन नहीं है। तहसीलदार मांगरोल द्वारा पत्र दिनांक 15.11.2022 के साथ संलग्न कर प्रेषित रिपोर्ट पटवारी हल्का में भी इस तथ्य का उल्लेख है कि तत्कालीन खातेदार रतनलाल व लक्ष्मण की भूमि में से मोतीलाल की भूमि के रकबे की कमी पूर्ति की गई थी जिसमें श्यामकिशोर की भूमि का कोई उल्लेख नहीं था। तथा मौके पर श्यामकिशोर 2.80 है. भूमि पर ही काबिज काश्त है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य तथा काउन्टर अपील रेस्पो. खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम मांगरोल का नामान्तकरण संख्या 462 दिनांक 08.06.2000 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ तहसीलदार मांगरोल को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 45/2000 बउनवान मोतीलाल बनाम रतनलाल में पारित आदेश दिनांक 22.03.2000 की पालना में बाद जांच पुनः नये सिरे से नामान्तकरण दर्ज करें। काउन्टर अपील रेस्पोडेन्ट निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.08.01 13:40:04 IST
Reason: SelfAttested